

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endorsement No. C/3879
...../
II-4-1/2010

Jabalpur, dated 8./05/2024

Copy of the notification of the Government of M.P. F.No. 1978/21-B(1)/2024; Bhopal dated 08.05.2024, issued in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commercial Courts Act; 2015, is forwarded to;

1. The Registrar cum PPS of Honourable Chief Justice for kind information of His Lordship;
2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judges; All in the State for information and necessary action;
4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
7. Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
9. The Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information.


08/05/2024

RITURAJ SINGH CHOUHAN
REGISTRAR District Establishment

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 08/05/2024

फा0 क्र0 1978/21-ब(एक)/2024- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 3क के अधीन जारी इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)-17-2016/इक्कीस-ब(एक)-1888-2019, दिनांक 02 अप्रैल, 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 दिनांक 12 अप्रैल, 2019 में प्रकाशित की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी को वाणिज्यिक अपील न्यायालय के न्यायाधीश रूप में पदाभिहित करता है, अर्थात्:-

सारणी

अनु.क्र.	जिला	न्यायिक अधिकारी का नाम (जिला न्यायाधीश स्तर)
(1)	(2)	(3)
2.	भोपाल	श्री विवेक सक्सेना, अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
3.	जबलपुर	श्री अजय रमावत, चौबीसवे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर
4.	ग्वालियर	श्री श्याम सुन्दर झा, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर।।

F.NO.1978/XXI-B(1)/2024- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commercial Courts Act, 2015 (4 of 2016) and in light of this department's Notification F.No.17(E)/17/2016-XXI-B (1)/1888-2019 dated 2nd April, 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 12th April, 2019 issued under **section 3-A** of the said Act, the State Government, with the concurrence of Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby designate the Judicial Officer at District Judge level to be a Judge of Commercial Appellate Court, to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes, namely :-

TABLE

S.No.	District	Name of the Judge (District Judge Level)
(1)	(2)	(3)
2.	Bhopal	Shri Vivek Saxena, VIII th District & Additional Sessions Judge, Bhopal
3.	Jabalpur	Shri Ajay Ramawat, XXIV th District & Additional Sessions Judge, Jabalpur
4.	Gwalior	Shri Shyam Sundar Jha, III rd District & Additional Sessions Judge, Gwalior."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(ओ. पी. रघुवंशी)
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ० क्र० 1978/21-ब(एक) /2024
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 08 /05 /2024

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक A/2856II-4-1/2010, दिनांक 10.04.2024 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म० प्र० शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर (म० प्र०) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
4. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर (म० प्र० राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
5. शाखा प्रभारी, आय० टी० शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(निलेश यादव)
अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक ९ /05 /2024

फा0 क्र0 1978/21-ब(एक) /2024- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र17(ई)17-2016-इक्कीस-ब(एक)-2311/19, दिनांक 05 अप्रैल, 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 17 मई, 2019 में प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, व्यवहार न्यायाधीश स्तर के लिए, अनुक्रमांक 1 और 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

क्रं.	जिला	न्यायिक अधिकारी का नाम (व्यवहार न्यायाधीश स्तर)
(1)	(2)	(3)
"1.	इन्दौर	श्रीमती मिनी गुप्ता, ग्यारहवे व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, इन्दौर
3.	जबलपुर	श्री देवरथ सिंह, पच्चीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, जबलपुर।"

NOTIFICATION

F.NO. 1978/XXI-B(1) /2024- In exercise of the powers conferred by section 3 of Commercial Courts, Act, 2015 (No. 4 of 2016) the State Government, with the concurrence of Hon'ble the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's notification no. 17(E)17-2016-XXI-B(1) 2311 /2019 dated 05th April, 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette part-I, dated 17th, May, 2019, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for Civil Judge Level, for serial number 1 and 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S. No.	District	NAME OF THE JUDICIAL OFFICERS (CIVIL JUDGE LEVEL)
(1)	(2)	(3)
1.	Indore	Smt. Mini Gupta, XI th Civil Judge, Senior Division, Indore
3.	Jabalpur	Shri Devrath Singh, XXV th Civil Judge, Senior Division, Jabalpur.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(ओ. पी. रघुवंशी)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ० क्र० 1978/21-ब(एक) /2024,

भोपाल, दिनांक ०९/ 05/2024

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक A/285611-4-1/2010, दिनांक 10.04.2024 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म० प्र० शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर एवं जबलपुर (म० प्र०),
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
4. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर (म० प्र० राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
5. शाखा प्रभारी, आय० टी० शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(निलेश यादव)
अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 08 /05 /2024

फा0 क्र0 1978/21-ब(एक) /2024- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) के अधीन जारी इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र17(ई)17-2016-इक्कीस-ब(एक)-1888-19, दिनांक 02 अप्रैल, 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 में प्रकाशित की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद् द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:-

सारणी

अनु.क्र.	जिला	न्यायिक अधिकारी का नाम (जिला न्यायाधीश स्तर)
(1)	(2)	(3)
"2.	भोपाल	श्री विवेक सक्सेना, अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
3.	जबलपुर	श्री अजय रमावत, चौबीसवे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर
4.	ग्वालियर	श्री श्याम सुन्दर झा, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर।"

F.NO.1978/XXI-B(1)/2024- In exercise of the powers conferred by section 3 of Commercial Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016) and in light of this Department's Notification F.No.17(E) 17-2016-XXI-B (1) 1888/2019 dated 02nd April, 2019, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 12th April, 2019 issued under sub-section (1) and (2) of section 3 of the Commercial Court, Act 2015 (4 of 2016), the State Government with the concurrence of Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Judicial Officer of District Judge level to be a Judge, to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes under **sub-section (3) of section 3** of the said Act,, namely :-

2.....

TABLE

S.No.	District	Name of the Judge (District Judge Level)
(1)	(2)	(3)
2.	Bhopal	Shri Vivek Saxena, VIII th District & Additional Sessions Judge, Bhopal
3.	Jabalpur	Shri Ajay Ramawat, XXIV th District & Additional Sessions Judge, Jabalpur
4.	Gwalior	Shri Shyam Sundar Jha, III rd District & Additional Sessions Judge, Gwalior."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(ओ. पी. रघुवंशी)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ० क्र० 1978/21-ब(एक) /2024
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 8/05 /2024

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के पत्र क्रमांक A/2856II-4-1/2010, दिनांक 10.04.2024 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म० प्र० शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर (म० प्र०), की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
4. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर (म० प्र० राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
5. शाखा प्रभारी, आय० टी० शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

11/05/24
x (निलेश यादव)
अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग